इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016—आषाढ़ 24, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. ई-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2005), कलेक्टर, जिला झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 2 से 30 मई 2016 तक, उन्तीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन पुनरीक्षित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 27 मई 2016 तक, छब्बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2016

क्र. ई-5-898-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. एफ 1(ए) 155-1993-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त) ओएसडी, संस्कृति विभाग एवं प्रभारी सॉची, बौद्ध भारतीय -ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016 से 10 जुलाई 2016 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त) ओएसडी, संस्कृति विभाग तथा प्रभारी सॉची, बौद्ध भारतीय-ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2016

क्र. एफ-1-79-2015-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2016 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन (Mid Career Training Programme Phase-V, 2016) मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-5, 2016 के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक हैदराबाद में तथा दिनांक 19 से 25 जून 2016 तक यू.एस.ए. में निम्नांकित भापुसे, अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना है:—

1. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, म. प्र. मुख्यालय, भोपाल.
2. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल मुख्यालय, भोपाल.
3. श्री विपिन कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर जोन इन्दौर.
4. श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जेएनपीए, सागर.

(2) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त भापुसे, अधिकारियों को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर संबंधित भापुसे अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उसी पद एवं स्थान पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल संबंधित भापुसे अधिकारियों को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि संबंधित भापुसे, अधिकारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 89-2015-ब-2-दो.—भारत शासन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2009 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, 1954 के नियम 4(a) में 6वें वेतनमान की अनुशंसा अनुसार वेतन बैंण्ड पर महंगाई भत्ते की दर 50% अधिक हो जाने पर प्रत्येक समय 25% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है. महंगाई भत्ता 50% होने पर 25% की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए दरों को पुनरीक्षित कर वर्तमान में भापुसे अधिकारियों को दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से वर्दी धुलवाई भत्ता 375/- प्र.मा. एवं गणवेश नवीनीकरण अनुदान रु. 3000/- तीन वर्ष में एक बार भुगतान किया जा रहा है.

(2) विभाग द्वारा भारत शासन के उपर्युक्त निर्देश के पालन में भा.पु.से. (वर्दी) निमय 1954 के नियम 4(a) तथा 6वें वेतनमान की अनुशंसा अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2014 को महंगाई भत्ता 100% हो जाने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वर्दी धुलाई भत्ता एवं गणवेश नवीनीकरण अनुदान की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं:—

1. वर्दी धुलाई भत्ता	दि. 1-1-2014 से	रु. 450/-	प्रतिमाह
2. गणवेश नवीनीकरण अनुदान.	दि. 1-1-2014 से	रु. 4500/-	तीन वर्ष में एक बार.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ. 1(ए) 4-2012-ब-2-दो.—श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 17 से 26 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवाकश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ श्री नगर (जम्मू कश्मीर) की अवकाश यात्रा की अनुमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री निमिष अग्रवाल	स्वयं
2.	श्रीमती कनिका अग्रवाल	पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 79-2011-ब-2-दो.—श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 16 से 30 जून 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ रामेश्वरम् की अवकाश यात्रा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	स्वयं
2.	श्रीमती ममता मीणा	पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, आगर मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016

फा. क्र. 3(ए)6-2016-इक्कीस-ब(एक)-2501.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित के नियम-5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.
2. श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद.
3. श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.
4. श्री अरविंद कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल.
5. श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.
6. श्री दीपक कुमार पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
7. श्री पंकज सिंह महेश्वरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर
8. श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना.
9. श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा.
10. कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर.
11. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैढन, जिला सिंगरौली.

12. श्री समीर कुलश्रेष्ठ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा.

13. श्रीमती वर्षा शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन.

14. श्री अशोक गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह.

15. श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर.

16. श्री रामजी गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़.

17. श्री गालिब रसूल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर.

18. श्री गंगाचरण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन.

19. श्री मसूद अहमद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.

20. श्री राकेश कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक)-2086.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक)-782, दिनांक 10 मई 2016 की चौथी पंक्ति में उल्लेखित "प्रेषित आवेदन पत्र" के स्थान पर "निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

पंजी क्र. 2389-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन श्री शिवकुमार गुप्ता, नोटरी तहसील-झिरन्या, जिला-मंडलेश्वर द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2015 को नोटरी के पद से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2012 को अपास्त करते हुए उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016

फा. क्र. 2347-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के संचालन हेतु निम्नलिखित उपसंचालकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों के लिए विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी पदस्थापना तक की अवधि के लिए प्रदान करता है.

1. श्री मदन लाल सोलंकी, उप संचालक अभियोजन खण्डवा,
2. श्री विमल कुमार छाजेड़, उप संचालक अभियोजन देवास,
3. श्री प्रदीप शर्मा, उप संचालक अभियोजन, गुना,
4. श्री के. के. मौर्य, उप संचालक अभियोजन, मुरैना.

फा. क्र. 2447-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा, नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पद एवं स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी (जन्मतिथि 11-1-1963).	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सत्र खंड राजस्व अशोकनगर.
2	श्री आशुतोष लोधी (जन्मतिथि 23-3-1977)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला सत्र खंड राजस्व अशोकनगर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. एफ-13-39-2016-तेरह, मार्च 2016.—यतः, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-34-2015-

बी-ग्यारह, दिनांक 2 अप्रैल 2016 द्वारा बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश की संभावनाओं को देखते हुए मेसर्स ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है;

(2) अतएव मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा मेसर्स ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से प्रस्तावित मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब परियोजना को निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

(एक) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/स्थापित टेक्सटाईल एवं पेपर उत्पाद इकाईयों को, जो कि वितरण कंपनी से नवीन संयोजन प्राप्त करेंगी, ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट होगी:

परन्तु यह छूट उन इकाईयों को उपलब्ध नहीं होगी, जो कि पहले से ही ग्रिड से जुड़ी है और/अथवा जो कि वितरण कंपनी के नवीन उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है.

(दो) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत टेक्सटाईल एवं पेपर उत्पादन इकाई/इकाईयों को, उनके द्वारा उनके विद्यमान विद्युत् संयोजन पर भार वृद्धि किए जाने पर, केवल उक्त भार वृद्धि की सीमा तक ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट होगी.

(तीन) ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे को-जनरेशन केप्टिव पावर संयंत्र से उत्पादित विद्युत् का उपभोग, हब के अन्तर्गत प्रस्तावित/स्थापित इकाईयों द्वारा स्वयं करने पर, को-जनरेशन संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत् शुल्क से छूट होगी.

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगी.

No. F-13-39-2016-13.—WHEREAS, in view of the opportunities of employment to a Iarge number of local persons and possibilities of massive investment, the Commerce, Industries and Employment Departnent *vide* its order No. F-16-34-2015-B-XI dated 2nd April. 2016 has granted various facilities, including exemption from electricity duty to Mega Industrial Textile Hub proposed in Budhni, District Sehore by M/s Trident Group, with an investment of Rs. 2320.02 Crore.

2. Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No.17 of 2012), the State Government hereby, grants the following exemptions to the proposed Mega Industrial Textile Hub Project of M/s Trident Group proposed in Budhni Distt. Sehore with an invesment of rupees 2320.02 Crorer.

(i) Textile and paper Product units, proposed/ established under the aforesaid Project, availing new connection from the Distribution Company, shall be exempted from payament of etectricity duty on consumption of etectricity supplied from the grid for a period of 10 years:

Provided that such exemption shall not be available to the units which are already connected with the grid and/or which do not fall under the category of new consumer of the Distribution Company.

(ii) Textile and Paper Product unit (s) under the Project, upon enhancement of its/ their load against the existing connection shall be exempted from Payment of etectricity duty on consumption of etectricity supplied from the grid to the extent of enhanced load only, for a period of 10 years.

(iii) Self consumption of the etectricity generated from the co-generation captive power plant, being established by the Trident Group under the aforesaid project, by the units proposed/ established under the Hub shall be exempted from payment of electricity duty for a period of 10 years from the date of start of generation by Co-generation plant.

3. This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Cazette and will remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.सी.पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

सूचना

क्र. एफ-3-109-2007-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-109-2007-बत्तीस, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम हिनोतिया	75/5 में से	10,000 वर्गफीट	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक
		योग . .	10,000 वर्गफीट		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 15,33,458/- (रुपये पन्द्रह लाख, तैंतीस हजार, चार सौ अठावन रुपये मात्र) दिनांक 15-3-2016 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम शाखा जबलपुर के चालान क्रमांक जे/057823200 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. उक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-72-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 37' 30.735'' से 23° 37' 46.130'' उत्तर अक्षांश तथा 81° 18'35.9" से 81° 19'0.684" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—शहडोल, तहसील—गोहपारू, वनमंडल—दक्षिण वनमण्डल शहडोल, वन परिक्षेत्र—खन्नौधी

अनुक्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जन्नौडी 213	जन्नौडी	राजस्व भूमि (लैण्ड बैंक)	161 168/1 क	11.882 10.526	**उत्तर**—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 563 के मुनारा क्र. 43 से प्रस्तावित वन खण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						के 43/3 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/3 से 43/10 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/10 से 43/18 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/18 से आरक्षित कक्ष क्रमांक 563 मुनारा क्रमांक 43 तक की वन सीमा.
				योग . .	22.408	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार**—

1. वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु भूमि म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 02, शहडोल भुरसी से मितौरा मार्ग हेतु रकबा 22.408 हेक्टेयर में प्रभावित 2.16 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.408 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.408 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, शहडोल के आदेश क्रमांक RM/09/1946, दिनांक 20-5-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार जैतपुर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-72-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-72-2016-दस-3, दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 4th July 2016

No. F-25-72-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; Subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 37' 30.735'' to 23° 37' 46.130'' North Latitude and 81° 18'35.9" to 81° 19'0.684" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Shahdol, Tehsil-Sohagpur, Forest Division-South Shahdol Divion, Forest Range—Khanoudi

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Janoudi 213	Janoudi	Revenue Land (Land bank)	161 168/1 क	11.882 10.526	**North**—RF compartment No. 563 Pillar No. 43 to 43/3 Artificial Forest **block** boundary. **East**—Proposed Forest **block** Pillar No.43/3 to 43/10 Artificial Forest boundary. **South**—Proposed Forest **block** Pillar No.43/10 to 43/18 Artificial Forest boundary. **West**—Proposed Forest **block** Pillar No.43/3 to 43/18 to RF compartment No. 563 Pillar No. 43 Forest boundary.
			Total		22.408	

(A) **Reason for publication of Notification.**—

1. In lieu of 2.16 hectare of forest land under the sanctioned project of M.P. Gramin Sadak Nirman Unit-02 Shahdol Bhurshi to Mitoura Road.The above mentioned Revenue Land of 22.204 hectare has been transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by Collector Shahdol's order Rm/09/1946 dated 20-5-2009 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil-dated Nil of Tehsildar Jaitpur are as under.

1. **Rights of Individuals**—There is not individual Community.
2. **Rights of Communities**—There is not individual Community.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Inidia Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-72-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22^0 55' 19.5'' N से 22^0 55' 43.6N'' उत्तर अक्षांश तथा 79^0 49'9.3 E" से 79^0 49' 36.9"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—जबलपुर, वनमंडल—जबलपुर, वन परिक्षेत्र—बरगी

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सुकरी	सुकरी (प.ह. न. 46 पुराना क्र. 35).	छोटे-बड़े झाड़ का जंगल	27 (नया क्रमांक पुराना ख. क्र. 21)	25.00	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 2 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—मुनारा क्रमांक 12 से 14 एवं मंगेला पी.एफ. कक्ष क्रमांक 201 के मुनारा क्रमांक 10/11 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् मंगेला पी.एफ. के मुनारा क्रमांक 10/11 से मुनारा क्रमांक 10/13 तक की पी.एफ. सीमा. **पश्चिम**—मंगेला पी.एफ. के मुनारा क्रमांक 10/13 से 10/14 (22^0 55' 26.6'' N 79^0 49' 09.3''E) तक पी.एफ. सीमा पश्चात् मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 19 पश्चात् मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम सीमा.
				योग . .	25.00	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के (1) आदेश क्रमांक 6-MPB-14/2006-BHO/486, दिनांक 21 मार्च 2006 से स्वीकृत 132 के.व्ही. नरसिंहपुर डायवर्सन जबलपुर लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.486 हेक्टेयर के विरुद्ध 0.486 हे. में (2) आदेश क्रमांक 6-MPB-038/2006-B HO/808, दिनांक 4-5-2006 से स्वीकृत 220 के.व्ही. जबलपुर सूखा डायवर्सन लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.822 हे. के विरुद्ध 0.822 हे. में (3) आदेश क्रमांक 6-MPB-039/2006-BHO/781, दिनांक 3-5-2006 से स्वीकृत 220 के.व्ही. अमरकंटक डायवर्सन इलेक्ट्रीसिटी लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.900 हे. के विरुद्ध 0.900 हे. में (4) आदेश क्रमांक 6-MPC-005/2006-BHO/2354, दिनांक 23-1-2007 से स्वीकृत 220 के.व्ही. बिरसिंहपुर से जबलपुर लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 3.20 हे. एवं अन्य वनमण्डल की प्रभावित भूमि 13.12 हे. के विरुद्ध 3.20 हे. में (5) आदेश क्रमांक 6-MPB-079/2006-BHO/1201, दिनांक 30-6-2006 से स्वीकृत 220के.व्ही. लिलो बिरसिंहपुर रीवा,

सतना इलेक्ट्रिकल लाईन में अन्य वनमण्डला का प्रभावित रकबा 0.930 हेक्टेयर के विरुद्ध 1.00 हेक्टेयर में (6) आदेश क्रमांक 6-MPC-028/2006-BHO/1645, दिनांक 11-9-2006 से स्वीकृत 220 के. व्ही. अमरकंटक से जबलपुर में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 3.10 हे. एवं अन्य वनमण्डल का प्रभावित रकबा 4.14 हेक्टेयर के विरुद्ध 3.10 हे. में (7) आदेश क्रमांक 8-122/2003-FC, दिनांक 12-2-2007 से स्वीकृत 765 के. व्ही. सिवनी-सीपत विद्युत् लाईन अन्य वनमण्डल का प्रभावी रकबा 16.768 हे. के विरुद्ध 15.492 हे. में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब एवं मुख्य प्रबंधक पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन, की स्वीकृत परियोजनाओं में कुल प्रभावित रकबा 43.466 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में लौंड बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म. प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जबलपुर के आदेश क्रमांक 2858/रा.मो./93, जबलपुर दिनांक 26-3-1993 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार बरगी के प्रतिवेदन क्रमांक 162, दिनांक 15-9-2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2016

क्र. एफ-25-78-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-78-2016-दस-3, दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 4th July 2016

No. F-25-78-2016-X-3.—In Exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; Subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22^0 55' 19.5'' N to 22^0 55' 43.6N'' North Latitude and 79^0 49'9.3 "E to 79^0 49' 36.9"E East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur Tehsil-Jabalpur, Forest Division-Jabalpur—Forest Range—Bargi

No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in hach	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sukari	Sukari (Circle No. 46 old Circle No. 35).	Chhote Bade Jhad ka Jungle	27 (New No. old Kh. No. 21)	25.00	**North**—Artificial forest boundary from Pillar Nmuber 1 to 2.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						East—Artificial forest boundary from Pillar Number 2 to 12. **South**—Artificial forest boundary from Pillar. Number 12 to Pillar Number 14 & up to Pillar Number 10/11 of Mangela PF Cmpartment Number 201 then PF boundary of Mangela PF from Pillar Number 10/11 to Pillar Number 10/13. **West**—PF boundary of Mangela PF from Pillar Number 10/13 to 10/14 (22° 55' 26.6'' N 79° 49' 09.3 E) then Artificial boundary of Pillar Number 13 to Pillar Number 19 then up to Pillar Number 1.
				Grand Total	25.00	

(A) **Reason for publication of Notification.**—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests Govt.of India's (l) order No. 6-MPB-014/2006-BHO/486 date 21-03-2006 approved of 132 KV. Narsinghpur Diversion Jabalpur affected Area 0.486 Hact. in Jabalpur division against in Area of 0.486 hact. (2) order No. 6-MPB-038/2006-BHO/808 dare 04-05-2006 approved of 220 KV. Jabalpur-Shookha Diversion Line affectcd Arca 0.822 hact. in Jabalpur division against in Area of 0.822 hact. (3) order No. 6-MPB-039/2006-BHO/781 date 03-05-2006 approvel of 220 KV. Amarkantak Diversion Electricity line affected Area 0.900 hact. in Jabalpur division against in Area of 0.900 Hact. (4) order No. 6-MPC -005/2006-BHO/2354 date 23-01-2007 approved of 220 KV. Birsingpur to Jabalpur line affectcd Area 3.20 hact. area in Jabalpur division & 13.12 hact. area in other division against Area of 3.20 hact. (5) order No. 6-MPB-079/2006BHO/120l date 30-06-2006 approved of 220 KV. Lilo Birsingpur Rewa satna elec. lin affected Area 0.930 hact. area of other division against in Area of 1.00 hact. (6) order No. 6MPC/028/2006-BHO/1645 date 11-09-2006 approved of 220 KV. Amarkantak to Jabalpur affected Area 3.10 hact. area Jabalpur division 4.14 hact. area of other division against in Area of 3.10 hact. (7) order No. 8-122/2003-FC date 12-02-2007 approved of 765 KV. seoni-sipath Electricle line affected Area 16.768 hact. area of other division against in Area of 15.492 hact.and in lieu of 43.466 hectare of total affected forest land urder the sanctioned projcct of rhe Executive Engineer ultra high pressure and General managaer power Grid Corporation, the above, mentioned 25.00 hact. Lard from Land Bank, transferred or muted in favour of M.P. Govt., Foresl Department by order No. 2858/R.M./93 dated 26.03.1993 of Collector Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 162 & datcd 15-09-2015 of Tahsildar Bargi are as under.

(1) Rights of individuals : No individuals Rights are on above Land.
(2) Rights of Communities : No Communities Rights are on above Land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Inidian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 28 मई 2016

क्र. 5358-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची क्र. 1 व 2 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची क्र-1

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	टिमरनी	छीपानेर	3.103 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग हरदा.	छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.

अनुसूची क्र-2

हरदा	टिमरनी	चिचोट	1.939 हेक्टर	कार्यपालनं यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग हरदा.	छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.

नोट.—1. भूमि का नक्शा प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, टिमरनी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर, हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

3. सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 15 जून 2016

क्र. 935.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम धूसांवानी, प.ह.नं. 27 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-543.560 हेक्टेयर.	ग्राम-राजढाना प.ह.नं.-27

क्र. 935.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम बिचबेहरी, प.ह.नं. 08 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1277.543 हेक्टेयर.	ग्राम-झालमऊ प.ह.नं.-08

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 25 जून 2016

सार्वजनिक सूचना

प्र. क्र. 05-अ-82-2014-15—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में अंकित अनुसार भूमि लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वरगी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ. 12-2/2014/सात/2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर आधार सहित कलेक्टर कार्यालय, टीकमगढ़ में प्रस्तुत कर सकता है. म्याद गुजरने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

1. परियोजना का नाम — लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परियोजना
2. प्रयोजन — वरगी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
3. भूमि का वर्णन —

ग्राम	तहसील	जिला	ख. नं.	रकबा (हे. में)	कृषक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंचमखेरा	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़	416	0.300	बालमकुन्द, बदर तनय रामदास काछी
			415	0.030	हरदेव तनय कन्हैयालाल यादव
				योग. 0.330	

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 जून 2016

प्रारंभिक सूचना

प्र. क्र. 7662-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (SH-31) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम **सराय,** तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि नागदा-धार-गुजरी मार्ग (SH-31) निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अत: सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—सराय तहसील धार

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)		(3)	(4)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (SH-31) निर्माण	0.132	0.289	0.421
	योग	0.132	0.289	0.421

अनुसूची (2)

इन्दौर-नागदा-धार-गुजरी मार्ग (SH-31) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सराय की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम:—सराय तहसील धार

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	अंसिचित	कुल	सिंचित	अंसिचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कृष्णा पिता नथ्या, गौराबाई पति नथ्या, फत्या, भग्या, ज्ञानाबाई, कालीबाई पिता नवचा, पुना, नाबालिक पिता राजकुमार पालनकर्ता कृष्णा पिता नथ्या, अजोता पति राजकुमार जाति भील निवासी ग्राम सराय.	608	0.746	0.000	0.746	0.132	0.000	0.132
2	दरियाव पिता रावजी, दत्तु तुकाराम, मयाराम, आत्माराम, डोंगर, ममता, कुन्ताबाई, श्यामबाई, मायाबाई पिता छगन मांगुडीबाई पति छागन, रामस्वरूप, दिनदयाल, मंजुबाई दितुबाई, शिवकन्या पिता कुमान, हिम्या पिता बरसिंह जाति भील निवासी सराय.	650	0.000	4.046	4.046	0.000	0.289	0.289
		योग	0.746	4.046	4.792	0.132	0.289	0.421

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उद्घोषणा का संशोधन

खरगोन, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 432-भू-अर्जन-16.—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही तहसील सनावद के ग्राम भातुड की निजी भूमि क्षेत्रफल 8.060 हे. के सबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के तहत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 2171 पर दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशन हुआ है. प्रकाशित उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. शेष उद्घोषणा यथावत् रहेगी:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित सही प्रविष्ठि	
खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)
8/6	0.024	7/6	0.024

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 3/2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गुना-आरोन-सिरोंज मार्ग की सूची में नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में आरोन बायपास के लिये (MPRDC) की सड़क योजना के तहत तहसील आरोन जिला गुना की ग्राम आरोन के लिये शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची (1)

आरोन बायपास के प्रस्तावित टू लेन मार्ग पर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आरोन (पटवारी हल्का नं. 22)	23.132	0	23.132

अनुसूची (2)

आरोन बायपास के प्रस्तावित टू लेन मार्ग पर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम आरोन

तहसील : आरोन जिला : गुना

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आरोन (पटवारी हल्का नं. 22)	23.132	0	23.132

स.क्र.	भू-स्वामित्धारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पुष्पेन्द्र कुमारी पत्नि प्रसन्न कुमार जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू. राजस्व 17.53.	49 गुना रोड पर	1.505	0.062	–	0.062
2	प्रकाशचन्द्र पुत्र चंपालाल जैन	47/2/3 गुना रोड पर	0.653	0.219	–	0.219
3	बैनी प्रसाद पुत्र हरिवल्लभ जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 14.81.	40 गुना रोड पर	4.087	0.784	–	0.784

क्र.	भु स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकवा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
4	हरिसिंह पुत्र दंगलसिंह जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 147 शकुनबाई पत्नि रमेश कुशवाह	153	1.682	0.511		0.511
5	शकुनबाई पत्नि रमेश कुशवाह	153 min 1	0.836	0.251		0.251
6	प्राणसिंह पुत्र तोरनसिंह जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा.शा. 145	155	0.470	0.261		0.261
7	नारायणसिंह पुत्र तोरनसिंह जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा.शा. 145	156/2 min2	0.836	0.209		0.209
8	जीवनसिंह पुत्र काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	158	0.951	0.491		0.491
9	प्राणसिंह पुत्र तोरन सिंह कुशवाह	154 min 1	0.382	0.126		0.126
10	किरनबाई पत्नि बृजेंद्रसिंह रघुवंशी	197 min 2	1.045	0.468		0.468
11	भगवती बाई पत्नि रामस्वरूप श्रीवास्तव	197 min 1	1.045	0.518		0.518
12	श्यामबाबू पुत्र रामस्वरूप जाति कायस्त पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 2.00 1. आम 2. कटहल 3.बेरी 4.महुआ 5.अनार	200/1	0.848	0.489		0.489
13	गंगाबाई बेवा गोविंद प्रसाद जाति कायस्त पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 8.25	200/2	2.038	0.523		0.523
14	भगवती बाई पत्नि रामस्वरूप श्रीवास्तव जाति कायस्त पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 5.60	200/3	1.189	0.157		0.157
15	लल्लीराम पुत्र भवरलाल जाति बाढई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 5.28	272/2/1	1.463	0.157		0.157
16	किशनलाल, दीनदयाल, राधे पुत्रगण हीरालाल जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी, सुभद्राबाई पुत्री हीरालाल जाति काछी पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू.रा. बिल मुक्ता 10.60	276	1.473	0.175		0.175
17	बुन्देलसिंह पुत्र कमरजी जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा.शा. 176	277	0.261	0.142		0.142
18	अमोलसिंह पुत्र माधोसिंह जाति रघुवंशी1/4, नीलमसिंह पुत्र माधोसिंह 1/4 अमरसिंह हरिसिंह पुत्रगण भगवानसिंह 1/2 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. शा. 217	278/min 1	2.012	0.380		0.380

क्र.	भू स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
19	कलियाबाई पत्नि सुरेंद्र सिंह पुत्री प्रेमसिंह जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	278/ min 2	0.402	0.157		0.157
20	मुन्नीबाई पुत्री नोनीताराम जाति मोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 222	289	1.599	0.388		0.388
21	अभिषेक रघुवंशी पुत्र शिवरामसिंह रघुवंशी	295	0.658	0.059		0.059
22	रामसिंह, हरिसिंह पुत्रगण मानसिंह जाति ओझा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 293 मि.1 1. बबुल — 12 2. युकेलिप्टीस — 2 3. नलकूप — 1	294/1	1.060	0.428		0.428
23	श्रीमति हीराबाई पत्नि मोहन सिंह रघुवंशी	292	1.066	0.247		0.247
24	रामसिंह, हरिसिंह पुत्रगण मानसिंह जाति ओझा	293/1	0.792	0.027		0.027
25	सुनीताबाई पत्नि रामसिंह तिलकाबाई पत्नि हरिसिंह जाति ओझा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 3.14	312	0.355	0.249		0.249
26	मर्दनसिंह पुत्र मिश्रीलाल साहू	313	1.045	0.418		0.418
27	गजराजसिंह पुत्र मिश्रीलाल साहू	318	2.153	0.467		0.467
28	पहलवान पुत्र लक्ष्मणसिह रघुवंशी नि. प्यासी, श्रीमति सुगनबाई पत्नि अर्जुनसिंह रघुवंशी, नि. आरोन, जुल्फकार खां उर्फ भुटटो पुत्र रमजान खां मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 5.50	320/1	1.175	0.418		0.418
29	पहलवान पुत्र लक्ष्मणसिह रघुवंशी नि. प्यासी, श्रीमति सुगनबाई पत्नि अर्जुनसिंह रघुवंशी, नि. आरोन, जुल्फकार खां उर्फ भुटटो पुत्र रमजान खां मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 5.50	320/2	1.176	0.009		0.009
30	कमलाबाई बेवा शंकरलाल सहरिया	321	0.387	0.052		0.052
31	श्यामसुन्दर पुत्र बाबूलाल सोनी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 2.90	325/min 2	0.627	0.136		0.136
32	सीमा पत्नि मुकेश सोनी पता नि. इन्दौर भूमि स्वामी भ.रा.शा. 324/2 1.आम 2.जामुन 3.नीबू 4.मकान 23'11 x 23'11	326	1.442	0.625		0.625

क्र.	भु स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकवा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
33	कमल सिंह हल्केराम मथरालाल हरिराम इमरत सिंह कमलाबाई जानकीबाई पुत्र पुत्रीयॉ धरोपी जाति काछी 1.आम 2.जामफल	328/ min 1	0.533	0.282		0.282
34	कमलसिंह पुत्र धरोपी काछी पता नि. मोहरीकला भूमि स्वामी भ.रा. 2.41 1. जामफल 2. नीबू , 3. चंदन 4. अनार 5. आंवला 6.मकान खपरैल कच्चा	327/3	0.732	0.209		0.209
35	खुशिया पुत्र शिवुआ चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. बिलमुक्ता 10.10	415	1.076	0.044		0.044
36	प्रेमबाई पत्नि गोपीलाल राजाराम , अमोलसिंह, दिमानसिंह पुत्रगण गोपीलाल जाति काछी पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भ.रा.	411/1	1.876	0.282		0.282
37	श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन शैक्षणिक मंदिर ट्रस्ट, अध्यक्ष श्री देशराज कलैशिया	411/2	0.938	0.072		0.072
38	काशीराम पुत्र सूरतसिंह कुम्हार पानी की टंकी 15 " 15	411/3	0.938	0.491		0.491
39	रामस्वरूप पिता बाबूलाल साहू	412	0.376	0.230		0.230
40	घासीलाल पुत्र श्रीकृष्ण हि. 1/4 , बाबूलाल पुत्र रामरतन 1/2 कृष्णाबाई	396 min1	1.719	0.779		0.779
41	पत्नि घासीलाल साहू	396 min 2	0.559			
42	ओमप्रकाश पुत्र हरिराम सोनी	395/2	1.296	0.371		0.371
43	कैलाशनारायण पुत्र हरिराम सोनी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 6.56	394/3	1.463	0.836		0.836
44	कैलाशनारायण, अशोककुमार, ओमप्रकाश पुत्रगण हरिराम सोनी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेद भू. रा. 8.00	394/2	1.463			
45	भूरेराम पुत्र हीरा जाति कुम्हार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामीं सूरतिया पुत्र धर्मा जाति कुम्हार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा. 24.37	393	5.434	0.072		0.072
46	राजाराम पुत्र देवलाल जाति कुम्हार 1.जामफल 2.बांस	956/2 kh	0.418	0.460		0.460
47		956/2g/ min 2	0.418			

क्र.	भु स्वानित्वधारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकवा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
48	रमेशसिंह पुत्र गजराज सिंह रघुवंशी	947/2	0.893	0.042		0.042
49	कल्याणसिंह पुत्र मुंशीलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 2.50	956/2/k/min2	0.637	0.470		0.470
50	कल्याणसिंह पुत्र मुंशीलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 956/1मि.2	956/2/k/min3	0.230			
51	मोहनसिंह ,लाला, भगवतसिंह पुत्रगण जगन्नाथ , गीताबाई पुत्री जगन्नाथ जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 2.15	958/1/min 1	0.240	0.240		0.240
52	गोपाल पुत्र हरिनारायण सोनी	958/1min 2	0.314	0.042		0.042
53	अतुलकुमार पुत्र महेंद्र कुमार जैन	959/1	0.676	0.261		0.261
54	महेंद्र कुमार पुत्र केवलचुद जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 7.50	958/2	1.672	0.314		0.314
55	ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ब्रह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 6.00	960	2.247	0.595		0.595
56	कुष्णसिंह पुत्र गजराजसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 6.00	968/1	0.360	0.406		0.406
57	रमेश पुत्र गजराजसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	968/2	0.360			
58	कुष्णसिंह पुत्र गजराजसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 1.30	969/1	0.120	0.069		0.069
59	रमेश पुत्र गजराजसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	969/2	0.120			
60	गुडडीबाई पत्नि हरिबल्लभ , रामभरोसा ना.बा. पुत्र हरिसिंह श्रीयंका ना.बा. , वर्षा ना.बा. करईबाई ना.बा., भू स्वामी पिता हरिसिंह हि.1/4 सा. मां स्वयं, हरवीरसिंह, घनश्यामसिंह पिता गणेशराम, मनोबाई पुत्री गणेशराम जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम 3/4 भाग भू स्वामी भू.रा.शा. 782	994	0.146	0.146		0.146
61	गुडडीबाई पत्नि हरिबल्लभ , रामभरोसा ना.बा. पुत्र हरिसिंह श्रीयंका ना.बा. , वर्षा ना.बा. करईबाई ना.बा., भू स्वामी पिता हरिसिंह हि.1/4 सा. मां स्वयं, हरवीरसिंह, घनश्यामसिंह पिता गणेशराम, मनोबाई पुत्री गणेशराम जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम 3/4 भाग भू स्वामी भू.रा.शा. 782	995	3.354	0.180		0.180
62	रघुवीर सिंह, अर्जुनसिंह पिता बुन्देलसिंह रघुवंशी	986	1.139	0.105		0.105
63	श्रीमति सरजूबाई पत्नि बुन्देलसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 943	987	0.658	0.180		0.180
64	श्रीमति कविताबाई पत्नि रघुवीर सिंह जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	988/min 2	0.400	0.203		0.203

क्र.	भु स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकवा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
65	देवेन्द्रसिंह ना.बा. पिता बुनदेलसिंह सर. पिता स्वयं जाति रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 2.66	989	0.554	0.365		0.365
66	सुमनबाई पत्नि अर्जुनसिंह रघुवंशी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. बिलमुक्ता 20.62	984/min	0.627	0.047		0.047
67	हरिसिंह पुत्र गनेशराम रघुवंशी	990	1.808	0.660		0.660
68	अभय कुमार पुत्र कुसुम कुमार जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1450	1.264	0.480		0.480
69	गोपाल पुत्र चुन्नीलाल घोसी	1448/min 1	0.418	0.048		0.048
70	लक्ष्मण पिता छोटेलाल बगै0	1470 min 1	3.411	0.836		0.836
71	श्रीमति विधा पत्नि सुखनन्दन जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1472/min 1	0.647	0.282		0.282
72	सन्तोष पिता नाथुलाल जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1472/ min2	0.523	0.261		0.261
73	भरतसिंह पुत्र बलरामसिंह यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 6.69 1.ग्राम	1474	1.484	0.732		0.732
74	फूलसिंह, मानसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण माधोसिंह, जाति मिर्धा , सुशीलाबाई सुशीलाबाई पत्नि नाथुलाल जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 1480	1495	0.146	0.146		0.146
75	भूरा, बलवीर , गोपाल, बंटी उर्फ हरवीर पुत्रगण फूलसिंह बगैराह जामि मिर्धा	1493	0.282	0.209		0.209
76	फूलसिंह , मानसिंह रघुवीरसिंह पुत्रगण माधोसिंह जाति मिर्धा सुशीलाबाई पत्नि नत्थुलाल जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 1480	1491	1.097	0.010		0.010
77	मुनेश पुत्र सुखनंदन जैन	1496/2	1.334	0.060		0.060
78	नैभीचंद पिता गयाचंद जाति ब्रहामण, महेश, सुरेश, बृजेश पुत्रगण बाबूलाल	1497	0.640	0.150		0.150
79	कल्लू पुत्र जवरा घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 929	1498/1	0.394	0.272		0.272
80	उमकार पुत्र जवरा जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1498/2	1.174	0.142		0.142
81	कल्लू पुत्र जवरा घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 929	1499/1	0.815	0.363		0.363
82	उमकार पुत्र जवरा जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1501/1	0.244	0.094		0.094
83	विधाबाई पत्नि सुखनन्दन जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा.929	1501/2	0.383	0.042		0.042
84	मुनेशकुमार पुत्र सुखनन्दन जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1500 सिरोंज रोड पर	0.720	0.247		0.247
85	मुनेशकुमार पुत्र सुखनन्दन जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1627/3 सिरोंज रोड पर	1.093	0.203		0.203
86	कल्लू पुत्र मोहम्मद शाह मुसलमान बगैराह	1505/2 ड	0.096	0.021		0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87	सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल अग्रवाल	1505/2 gh	0.105	0.083	–	0.083
88	दयासागर पुत्र भगवानलाल जाति ब्रह्माण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1506/1 k सिरोंज रोड पर	0.322	0.187	–	0.187
89	भारत भूषण पुत्र रामबाबू जाति ब्रह्माण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1506/1 kh सिरोंज रोड पर.	0.214	0.074	–	0.074
90	दीपेन्द्र सिंह पिता बृजेश सिंह, रविन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, दीपकसिंह पुत्र हरवीर सिंह जाति रघुवंशी.	1445/3 min 1 सिरोंज रोड पर.	0.947	0.134	–	0.134

नोट.—भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व आरोन तहसील आरोन जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. एफ 4(ए)01-2012-ए-सोलह.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ए)01-2012-ए-सोलह, दिनांक 17 मार्च 2015 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. डी. नारया, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिये "मुख्य कारखाना निरीक्षक" नियुक्त करता है.

No. F.4 (A)-01-2012-A-XVI.—In Supersession of this department Notification No. F-4 (A)-01-2012-A-XVI dated 17th March, 2015 and in exercise of power conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) State Government hereby, appoints, until further order, Shri P. D. Narya, Incharge Director, Industrial Health & Safety, Madhya Pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सागर

सागर, दिनांक 5 मई 2016

क्र. 780-स्थानीय निर्वा-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, विकास नरवाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) सागर कृषि उपज मंडी समिति केसली में विधायक प्रतिनिधि (विधान सभा) देवरी-38 द्वारा विधायक प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:—

1.	श्री नारायण सिंह चन्देल पिता श्री सुखलाल सिंह चन्देल निवासी वार्ड नं. 1 केसली तहसील केसली जिला सागर.	विधायक प्रतिनिधि	धारा 11(1) के खण्ड (घ)

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 मई 2016

प. क्र. 4916-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. धनौरा.	गाडाघाट प.ह.नं. 08	1.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4918-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. कहानी.	गोहलिया प.ह.नं. 32.	2.27	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4919-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. कहानी.	करकवाडा प.ह.नं. 32.	1.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4920-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. धनौरा.	हर्रई प.ह.नं. 32.	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4925-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. कहानी.	खापा प.ह.नं. 33.	0.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4927-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. धनौरा.	सलेमा प.ह.नं. 07.	0.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 4929-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. धनौरा.	हिंगवानी प.ह.नं. 02.	0.340	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 सिवनी.	हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 16 जून 2016

प. क्र. 5827-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. धनौरा.	भालीवाड़ा प.ह.नं. 27.	4.02	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मई 2016

प्र. क्र. 105-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	धरवारा	निजी भूमि रकबा 5.511 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.103 है. कुल रकबा 5.614 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 106-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	पिपरिया	निजी भूमि रकबा 4.559 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.030 है. कुल रकबा 4.589 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती

है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	खबरा	निजी भूमि रकबा 1.319 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 1.319 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना दिनांक 15 जून 2016

प्र. क्र. 108-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	रामनगर	निजी भूमि रकबा 0.613 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है. कुल रकबा 0.688 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सथनिया	निजी भूमि रकबा 0.781 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.781 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 110-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मैनहा	निजी भूमि रकबा 0.600 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.175 है. कुल रकबा 0.775 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 23 जून 2016

प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	मुराछ	निजी भूमि रकबा 4.413 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 है. कुल रकबा 4.438 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	जमनी	निजी भूमि रकबा 2.650 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 2.650 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 114-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिमरिया गुलाब सिंह	निजी भूमि रकबा 1.000 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 1.000 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	नरगी	निजी भूमि रकबा 2.013 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है. कुल रकबा 2.088 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 116-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	उमरिया	निजी भूमि रकबा 1.400 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 1.400 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जून 2016

पत्र क्र. 1614-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बघमड़ा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बगदरी	0.225	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सं. क्र. 2 गोविन्दगढ़, रीवा (म. प्र.).	बघमड़ा नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1616-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बघमड़ा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बघमड़ा	0.800	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सं. क्र. 2 गोविन्दगढ़, रीवा (म. प्र.).	बघमड़ा नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 जून 2016

पत्र क्र. 1656-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मुर्तला कोठार	0.010	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी.	शिवराजपुर सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 जून 2016

पत्र क्र. 1692-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर, बेला सब-माइनर एवं घटबेलवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बेला	8.794	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	मढी माइनर, बेला सब-माइनर एवं घटबेलवा सब-माइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1694-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर, बर्ती सबमाइनर नं.-1 एवं न.-2 रामनगर सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बर्ती कोठार	7.972	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	मढी माइनर, बर्ती सब-माइनर न.-1 एवं न.-2 रामनगर सब-माइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1696-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत रामनगर सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	फीफिर	3.205	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	रामनगर सब-माइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय सें किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1698-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा

4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	किटहा	0.368	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	मढी माइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1700-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	मढी कोठार	2.323	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	मढी सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1702-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर बर्ती सबमाइनर नं. 1 एवं रामनगर सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	छिबौरा	8.640	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	मढी माइनर, बर्ती सबमाइनर नं.-1 एवं रामनगर सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1706-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मदरी कोठार	0.586	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1708-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	देवरी कोठार 269	0.927	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 1750-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि

मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	फुटौंधा	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग . .	5.00		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1752-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	भर्जुना खुर्द	3.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग . .	3.00		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1754-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	निरंजनपुर	2.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग . .	2.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1756-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	साहा	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
		योग . .	2.00		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 17 जून 2016

रा.मा..क्र. 01-अ-82 वर्ष 2015-16-पत्र क्र.-219-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूर्व में इस परियोजना हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है आंशिक अर्जन किया जाना

है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 (1) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	करेली	सिमरिया खुर्द प.ह.नं. 54. नं. बं. 567.	0.300	कार्यपालन यंत्री, रानी अंपतीवाई लोधी सागर डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर.	आमगांव माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहुपर के कक्ष क्र. 84 (भू-अर्जन) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती एम., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 23 जून 2016

पत्र क्र. 862-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	रुपई डोल	22.01	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 860-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	सेंधवा	84.80	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 858-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	कोटरो	39.41	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 856-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	तिलवारी	2.54	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 854-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	चुनगुना	38.02	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 852-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	खन्तरा	4.15	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 850-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	गजरी	21.31	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 848-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	करमाई	12.02	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4499-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान

नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब माइनर नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	तेन्दुआ	2.06	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4497-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	बढ़ौरा	0.93	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 767-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान नहर परियोजना (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन/ चुरहट.	झगरी	0.73	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन/चुरहट के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4495-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्ण में चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	सोनवर्षा	1.74	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 25 जून 2016

प्र. क्र.05-भू-अर्जन-वर्ष-2016-17-5611.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	नरहेला	निजी भूमि रकबा 15.825	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा, जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2016

प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-भू.अ..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा हीरापुर (घुघरानाला) जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कोहला की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	कोहला प.ह.नं. 63	0.392	अनु. अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन.	हीरापुर (घुघरानाला) जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी-सह-भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 3872-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	महरोई	21.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
		बेल्दी	15.500		
		कुड़ी	16.000		
		पड़वार	2.600		
		सलैया	1.500		
		कुल योग . .	57.100		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 212-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—गजंदा, प.ह.नं. 14

(घ) क्षेत्रफल—1.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
25/2	0.07	निजी भूमि
25/5	0.15	निजी भूमि
47	0.10	निजी भूमि
36	0.08	निजी भूमि
33	0.05	निजी भूमि
26	0.04	निजी भूमि
27	0.30	निजी भूमि
138	0.06	निजी भूमि
139	0.05	निजी भूमि
143/1	0.11	निजी भूमि
143/2	0.04	निजी भूमि
147	0.06	निजी भूमि
164	0.09	निजी भूमि
167	0.08	निजी भूमि
168	0.05	निजी भूमि
157	0.01	निजी भूमि
158	0.04	निजी भूमि
37	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.40	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 042-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—पौसी, प.ह.नं. 08

(घ) क्षेत्रफल—0.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
34	0.030	निजी भूमि
42	0.005	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
43	0.030	निजी भूमि
36	0.005	निजी भूमि
44	0.015	निजी भूमि
45	0.015	निजी भूमि
46	0.005	निजी भूमि
49	0.100	निजी भूमि
50	0.010	निजी भूमि
51	0.010	निजी भूमि
52	0.010	निजी भूमि
56	0.045	निजी भूमि
1095	0.080	निजी भूमि
1138	0.060	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.42	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2016

प्र. क्र. 11-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—उटीला
(घ) क्षेत्रफल—12.210 हेक्टेयर.

फार्म एक (3)

ग्राम—उटीला, प.ह.नं. 61 तह. ग्वालियर जिला ग्वालियर हर्सी उच्चस्तरीय नहर की कि. मी. 71.38 से 102.40 तक एवं डिस्ट्री./माइनर के निर्माण हेतु आने वाली निजी भूमि का विवरण (प्रस्ताव)

स. क्र.	नहर का नाम	सर्वे क्र.	कुल रकवा	नहर में आने वाली अर्जित भूमि का रकवा (हेक्ट. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हर्सी उच्चस्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइनर.	1342	0.627	0.010	निजी भूमि
2		1288	0.752	0.209	
3		1293	2.602	0.042	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		1275	1.588	0.345	
5		1274	0.178	0.021	
6		1265	1.379	0.167	
7		1283	0.481	0.272	
8		1340	1.839	0.324	
9		1286	1.317	0.543	
10		1276	0.543	0.01	
11		1261	0.418	0.073	
12		1220	0.752	0.261	
13		1221/1	0.125	0.125	
14		1214	0.92	0.115	
15		1164/1	0.261	0.125	
16		1171/1क	0.105	-	
17		1164/2	0.282	-	
18		1171/2	0.115	-	
19		1816 Min 2	0.418	0.136	
20		1817/4 min 1	0.157	-	
21		1219	0.209	0.209	
22		1170/1	0.094	0.094	
23		1817/1	0.345	0.010	
24		1170/2 min 2	0.084	-	
25		1249/1 Ka	0.522	0.362	
26		1824/3 Ka	0.199	-	
27		1171/1 Kha	0.125	0.125	
28		1174	0.418	0.136	
29		1175	0.397	0.063	
30		1765/2	0.219	0.073	
31		1768/2	0.543	0.115	
32		1788 min 1	5.163	0.042	
33		1360	0.972	0.01	
34		1291/1	0.711	0.072	
35		1361/1	0.460	0.240	
36		1361/2	0.627	0.021	
37		1185	1.390	0.366	
38		1153/2	0.509	0.063	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39		1179/2/1	0.293	–	
40		1221/2	0.564	0.042	
41		1817/2	0.345	0.136	
42		1249/3	1.139	–	
43		1824/1	0.721	–	
44		1817/3	0.418	–	
45		1249/2	1.149	–	
46		1824/2	0.878	–	
47		1249/1 kha	0.628	–	
48		1824/3 min kha	0.198	–	
49		1825/1	0.500	0.042	
50		1824/3 min-2	0.292	–	
51		1170/3 min	0.84	–	
52		1824/4	1.191	0.230	
53		1817/4 min-1	0.157	–	
54		1291/2	0.355	0.105	
55		1303 min-1	0.460	0.345	
56		1304/1	0.429	0.042	
57		1305/1	0.752	0.251	
58		1305/2	0.188	0.188	
59		1306	0.930	0.376	
60		1310 min-1	0.31	0.7	
61		1310 min-3	0.303	–	
62		1310 min-2	0.011	–	
63		1310 min-4	0.010	–	
64		1310 min-5	0.29	–	
65		1310 min-9	0.209	–	
66		1310 min-6	0.301	–	
67		1310 min-7	0.303	–	
68		1310/8 min	0.301	–	
69		1310 min-11	0.251	–	
70		1310/10 min	0.301	–	
71		1310/12 min	0.229	–	
72		1300	0.627	0.209	
73		1179/1	0.554	0.219	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74		1178	0.031	0.021	
75		1177	1.16	0.178	
76		1302	0.690	0.261	
77		1301	0.345	0.010	
78		1289	0.481	0.01	
79		1290	0.355	0.031	
80		1260 min-1	0.523	0.084	
81		1260 min-2	0.199	–	
82		1262min-1 kha	0.104	0.125	
		1715	1.473	0.209	
83		1816 min-1	0.125	–	
84		1150	1.306	0.282	
85		1341	1.035	0.314	
86		1710/3	0.439	0.230	
87		1764/3	1.119	0.314	
88		1717	0.397	0.105	
89		1718/2min-5	0.502	0.439	
		1718/1			
90		1745/1	0.209	–	
91		1718/2min-3	0.314	–	
92		1718/2min-4	0.209	–	
93		1734	0.397	0.094	
94		1718/2min-1	0.167	–	
95		1718/2min-2	0.564	–	
96		1745/2min-1	0.648	0.564	
97		1738/min-1	0.157	0.157	
98		1738/min 2	0.480	0.198	
99		1282	0.794	0.314	
100		1186	0.314	0.314	
101		1187	0.397	0.031	
102		1735	0.303	0.209	
103		1741/1	0.073	0.01	
104		1173	0.825	0.042	
			Total . .	12.210	

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 23 जून 2016

प्र. क्र. 25-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—चपरोली
(घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	0.02
योग .	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर शीतला माता 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सुपावली
(घ) क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2490/1, 2490/2	0.08
2500	0.04
योग .	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 43-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—हिमैयापुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.083 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
75	0.05
77	0.13
76	0.09
41	0.22
39	0.01
32/1, 32/2	0.21
33	0.12
योग .	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता 5 एल के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 मई 2016

प्र. क्र. 05-अ-82 वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—कुलुवा कलां, तिदनी छोटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.51 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—कुलुवांकलां	
295/1 में से	0.01
295/2 में से	0.01
176 में से	0.01
ग्राम—तिंदनी छोटी	
75 में से	0.07
145/1 में से	0.05
76/1 में से	0.10
76/2 में से	0.02
78 में से	0.07
143 में से	0.06
142 में से	0.04
145/2 में से	0.07
योग . .	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुलुवा कलां से रनेह मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 जून 2016

नस्ती क्र. 24 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-14-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—बड़गांवभीला
(घ) अर्जित रकबा—4.22 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436	0.78
440	0.18
441	0.02
439/1	0.04
439/3	0.01
442	0.13
443	0.11
444	0.12
446/2	0.01
447/3	0.08
446/3	0.14
452/1	0.40
452/2	0.23
572	0.60
453	0.08

(1)	(2)
571	0.30
570/2	0.11
568/6	0.30
568/5	0.28
योग . .	4.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 25 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-13-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(कं) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—मालीपुरा
(घ) अर्जित रकबा—7.37 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.15
36/2	0.11
36/3	0.01
33/3	0.11
32/2	0.04
24/5	0.01
24/4	0.32
24/3	0.12
23/2	0.20
42/2	0.05
43	0.01
23/1	0.17
45	0.22
88	0.37
87	0.35
81/4	0.25
82	0.28
81/1	0.22
81/6	0.10
81/5	0.05
145/1	0.34
148/4	0.25
155	0.40
156	0.08
157/1	0.30
141	0.02
139	0.11
138/2	0.55
138/1	0.94
124	0.20
132	0.17
134	0.05
135	0.15
175/1	0.20
175/1	0.02
175/1	0.01
175/1	0.01
175/11	0.01
175/2	0.03
175/3	0.03
175/9	0.02
175/4	0.02
175/7	0.04
175/10	0.08
175/8	0.08
175/5	0.02
175/6	0.10
योग . .	7.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 27 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-11-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—खण्डवा तरफ कुनबी
(घ) अर्जित रकबा—0.351 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
347/1	0.101
347/3	0.250
योग . .	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 30 जून 2016

नस्ती क्र. 26 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-12-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—खण्डवा तरफ माली
(घ) अर्जित रकबा—1.454 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.050
1/4	0.280
1/3	0.380
1/5	0.404
18/3	0.270
18/2	0.070
योग . .	1.454

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 28 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-15-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—नागचून

(घ) अर्जित रकबा—7.82 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
307	0.02
308	0.07
313	0.39
314/1	0.10
314/2	0.05
318	0.10
319	0.09
320	0.09
322/1	0.24
322/2	0.18
329/1	0.09
329/2	0.09
330/1	0.08
330/2	0.08
332/2	0.20
355	0.30
356	0.21
357	0.47
358	0.15
360/1	0.37
360/2	0.28
370	0.71
369	0.12
367	0.12
368	0.12
372/1	0.02
372/2	0.11
366/1	0.23
388/2	0.15
394/8	0.10
395/9	0.15
388/7	0.10
394/9	0.04
395/10	0.02
394/7	0.02
395/8	0.06
419/3	0.20
420	0.50
421	0.10
422/1	0.05
433/1	0.20
433/4	0.20
433/12	0.20
433/5	0.05
434	0.29
430/5	0.02
430/4	0.05
430/6	0.06
430/7	0.07
430/8	0.11
योग . .	7.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 जून 2016

पत्र क्र. 1660-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—गुलवार गुजारा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.950 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436	0.150
469/846	0.800
योग . .	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1662-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—नौगांव नं. 2
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.053 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84	0.053
योग . .	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1664-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—नौगांव नं. 1
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.352 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/1	0.064
98/1, 98/2	0.148

(1)	(2)
151/1, 151/2	0.041
152/1	0.099
योग . .	0.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1666-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—जुड़मानी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.150 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/2/क	0.142
181	0.020
180	0.040
180/639	0.020
283	0.016
114	0.512
113	0.032
120/1	0.290
292/1	0.180
288/1, 288/2	0.176
275/2, 275/5	0.429
185, 185/657	0.050
238/625	0.243
योग . .	2.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1668-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—मतहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.565 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.016
3/2	0.113
119/2	0.020
8/2	0.211
121/1/क	0.058
121/1/ख	0.081
121/2	0.066
योग . .	0.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1670-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—छिरहाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग—7.169 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
701	0.437
699	0.072
708	1.465
709	0.470
714/3	0.086
717	0.036
719/1, 719/2	0.780
720/2	0.770
774/4	0.014
784/2/ख/1	0.032
769	2.123
764/1	0.021
764/2	0.024
764/3	0.005
765/3,765/2, 765/1	0.005
766/1	0.005
766/2	0.005
766/3	0.005
1005/1/1, 1005/1/2, 1005/2क, 1005/2ख, 1005/2ग	0.271
1064/2	0.129
1064/3	0.130
1064/4	0.130
721	0.101
721/1	0.053
योग . .	7.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 जून 2016

पत्र क्र. 1736-प्रवा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) ज़िला—उमरिया

(ख) तहसील—मानपुर

(ग) ग्राम—चिमटा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.411 हेक्टेयर.

खसरा नं.		प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5	में से	0.640
123/1क, 123/1ख, 123/2 क, 123/2ख, 123/2ग	में से	0.050

(1)		(2)
17/273/1 17/273/2 17/273/3 17/273/4 17/273/5 17/273/6	में से	0.721
	योग . .	1.411

क्र. 1738-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—पुरैनी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.999 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.214
97	0.050
62	0.431
63	0.002
64	0.024
65	0.074
66	0.062
61	0.007
60	0.064
55	0.012
54	0.363
53	0.126
41	0.032
42	0.089
325	0.255
38	0.082
37	0.037
36	0.216
23	0.031
22	0.038
24	0.143
25	0.113
20	0.281
21	0.032
13	0.026
9	0.174
6	0.021
योग . .	2.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1740-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—करसरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.490 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265	0.083
266	0.002
264	0.066
263	0.058
268	0.048
269	0.029
270	0.086
262	0.047
278	0.033
279	0.068
274	0.079
280	0.014
273	0.049
731	0.016
641	0.304
639	0.074
637	0.014
649	0.063
689	0.132
650	0.078
651	0.059
653	0.038
654	0.082
658	0.017
660	0.097
657	0.003
661	0.390
668	0.025
667	0.038
666	0.257
767	0.130
515	0.019
525	0.155
455	0.024
526	0.119
674	0.001
456	0.214
457	0.202
454	0.064
445	0.156
412	0.385
768	0.304
415	0.206
416	0.161
योग . .	4.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1742-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—भर्जुना कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.991 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
384	0.061
385	0.280
391	0.035
392	0.099
394	0.146
395	0.203
396	0.004
406	0.028
404	0.325
402	0.005
403	0.062
410	0.141

(1)	(2)
411	0.096
415	0.149
414	0.265
891	0.092
890	0.260
889	0.096
460	0.066
461	0.321
462	0.255
872	0.012
873	0.024
871	0.139
874	0.160
870	0.124
869	0.207
868	0.117
867	0.100
803	0.015
804	0.083
800	0.113
799	0.127
807	0.781
योग . .	4.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1744-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.678 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
959	0.133
960	0.013
958	0.156
965	0.248
956	0.066
966	0.201
969	0.027
955	0.058
867	0.226
866	0.129
868	0.228
864	0.098
816	0.116
815	0.201
819	0.171
820	0.038
821	0.006
823	0.224
775	0.094
776	0.146
777	0.032
774	0.109
771	0.000
770	0.087
769	0.081
768	0.185
767	0.004
757	0.140
754	0.462
योग . .	3.678

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1746-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस

बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—उमरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.119 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
310	0.014
155	0.169
157	0.474
156	0.118
146	0.079
151	0.266
योग . .	1.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1748-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—मझगंवा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.719 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133	0.266
132	0.180
65	0.004
66	0.184
64	0.150
63	0.031
59	0.316
60	0.156
58	0.113
50	0.020
51	0.300
योग . .	1.719

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझगंवा शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 30 जून 2016

पत्र क्र. 778-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित क़िया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना

आवश्यक है, संबंधित विभाग (रेलवे विभाग) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) नगर/ग्राम—शिवपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.606 हे. (निजी).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
60/1	0.126	निजी भूमि
60/2	0.125	निजी भूमि
58	0.023	निजी भूमि
57	0.542	निजी भूमि
53	0.035	निजी भूमि
54/1	0.012	निजी भूमि
54/2	0.012	निजी भूमि
54/3	0.012	निजी भूमि
54/4	0.013	निजी भूमि
48	0.014	निजी भूमि
73/1	0.052	निजी भूमि
73/2	0.051	निजी भूमि
73/3	0.052	निजी भूमि
73/4	0.051	निजी भूमि
74	0.119	निजी भूमि
75/1	0.037	निजी भूमि
75/2	0.039	निजी भूमि
75/3	0.038	निजी भूमि
79	0.146	निजी भूमि
80	0.019	निजी भूमि
86	0.087	निजी भूमि
83	0.001	निजी भूमि
कुल रकबा . .	1.606	

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.

(2) भूमि के नक्शा एवं प्लान का अवलोकन—भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट, जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 780-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग (रेलवे विभाग) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) नगर/ग्राम—टीकटकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.979 हे. (निजी).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1667	0.010	निजी भूमि
1668/1	0.089	निजी भूमि
1668/2	0.089	निजी भूमि
1668/3	0.088	निजी भूमि
1668/4	0.088	निजी भूमि
1669/1	0.010	निजी भूमि
1669/2	0.010	निजी भूमि
1670	0.188	निजी भूमि
1666	0.036	निजी भूमि
1665/1	0.005	निजी भूमि
1665/2	0.005	निजी भूमि
1664/1	0.028	निजी भूमि
1664/2	0.028	निजी भूमि
1662	0.004	निजी भूमि
1658	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1659	0.167	निजी भूमि	1443/1	0.060	निजी भूमि
1661	0.102	निजी भूमि	1443/2	0.060	निजी भूमि
1660	0.122	निजी भूमि	1444/1	0.009	निजी भूमि
1655	0.108	निजी भूमि	1444/2	0.009	निजी भूमि
1654	0.077	निजी भूमि	1444/3	0.008	निजी भूमि
1651	0.080	निजी भूमि	1444/4	0.008	निजी भूमि
1649/1	0.052	निजी भूमि	1444/5	0.008	निजी भूमि
1649/2	0.052	निजी भूमि	1442/1	0.024	निजी भूमि
1650/1	0.196	निजी भूमि	1442/2	0.024	निजी भूमि
1650/2	0.006	निजी भूमि	1441	0.072	निजी भूमि
1650/3	0.006	निजी भूमि	1439	0.110	निजी भूमि
1650/4	0.006	निजी भूमि	1438	0.142	निजी भूमि
1650/5	0.006	निजी भूमि	1437/1	0.002	निजी भूमि
1650/6	0.006	निजी भूमि	1437/2	0.002	निजी भूमि
1650/7	0.006	निजी भूमि	1437/3	0.002	निजी भूमि
1650/8	0.006	निजी भूमि	1432	0.524	निजी भूमि
1650/9	0.006	निजी भूमि	1408	0.052	निजी भूमि
1650/10	0.006	निजी भूमि	1431	0.030	निजी भूमि
1650/11	0.006	निजी भूमि	1409	0.041	निजी भूमि
1650/12	0.006	निजी भूमि	1404/1	0.013	निजी भूमि
1650/13	0.006	निजी भूमि	1404/2	0.013	निजी भूमि
1650/14	0.006	निजी भूमि	1404/3/1	0.002	निजी भूमि
1650/15	0.006	निजी भूमि	1404/3/2	0.002	निजी भूमि
1652	0.004	निजी भूमि	1404/3/3	0.002	निजी भूमि
1868/1	0.030	निजी भूमि	1404/3/4	0.002	निजी भूमि
1868/2	0.030	निजी भूमि	1404/4	0.006	निजी भूमि
1868/3	0.030	निजी भूमि	1404/5	0.006	निजी भूमि
1868/4	0.030	निजी भूमि	1404/6	0.006	निजी भूमि
1870	0.009	निजी भूमि	1403/1	0.028	निजी भूमि
1890	0.167	निजी भूमि	1403/2	0.028	निजी भूमि
1504	0.006	निजी भूमि	1401	0.054	निजी भूमि
1502	0.026	निजी भूमि	1397/1	0.025	निजी भूमि
1501/1	0.040	निजी भूमि	1397/2	0.025	निजी भूमि
1501/2	0.040	निजी भूमि	1396/1	0.021	निजी भूमि
1891	0.223	निजी भूमि	1396/2	0.021	निजी भूमि
1883	0.020	निजी भूमि	1396/3	0.021	निजी भूमि
1894/1	0.002	निजी भूमि	1396/4	0.021	निजी भूमि
1894/2	0.002	निजी भूमि	1396/5	0.021	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1394	0.072	निजी भूमि	2018/2/2	0.014	निजी भूमि
1393/1	0.010	निजी भूमि	2018/2/3	0.014	निजी भूमि
1393/2	0.010	निजी भूमि	2028/1	0.085	निजी भूमि
1393/3	0.010	निजी भूमि	2028/2/1	0.028	निजी भूमि
1393/4	0.010	निजी भूमि	2028/2/2	0.029	निजी भूमि
1392/1	0.010	निजी भूमि	2028/2/3	0.028	निजी भूमि
1392/2	0.010	निजी भूमि	2027/1/1	0.035	निजी भूमि
1392/3	0.010	निजी भूमि	2027/1/2/1	0.014	निजी भूमि
1392/4	0.010	निजी भूमि	2027/1/2/2	0.010	निजी भूमि
1386	0.031	निजी भूमि	2027/1/2/3	0.010	निजी भूमि
1317	0.034	निजी भूमि	2027/2/1	0.069	निजी भूमि
1971	0.039	निजी भूमि	2027/2/2	0.069	निजी भूमि
1972	0.036	निजी भूमि	2025/2	0.063	निजी भूमि
1973/1	0.040	निजी भूमि	2025/3	0.063	निजी भूमि
1973/2	0.024	निजी भूमि	2025/1	0.127	निजी भूमि
1316/1	0.115	निजी भूमि	2040	0.330	निजी भूमि
1316/2	0.115	निजी भूमि	2039/1/1	0.015	निजी भूमि
1987/1	0.031	निजी भूमि	2039/1/2	0.015	निजी भूमि
1987/2	0.031	निजी भूमि	2039/2/1/1	0.057	निजी भूमि
1315/1	0.028	निजी भूमि	2039/2/1/2	0.014	निजी भूमि
1315/2	0.028	निजी भूमि	2039/2/1/3	0.014	निजी भूमि
1988	0.293	निजी भूमि	2039/2/1/4	0.014	निजी भूमि
1989/1	0.035	निजी भूमि	2039/2/1/5	0.014	निजी भूमि
1989/2	0.035	निजी भूमि	2041/1/1	0.075	निजी भूमि
1989/3	0.035	निजी भूमि	2041/1/2	0.050	निजी भूमि
1310/1	0.056	निजी भूमि	2041/2	0.050	निजी भूमि
1310/2	0.055	निजी भूमि	2038/1/1	0.028	निजी भूमि
1310/3	0.055	निजी भूमि	2038/1/2	0.028	निजी भूमि
1996	0.280	निजी भूमि	2038/2	0.028	निजी भूमि
1995	0.154	निजी भूमि	2038/3	0.028	निजी भूमि
2011	0.004	निजी भूमि	2037/1	0.042	निजी भूमि
2000/1/1	0.050	निजी भूमि	2037/2	0.042	निजी भूमि
2000/1/2	0.025	निजी भूमि	2037/3	0.012	निजी भूमि
2000/2/1	0.025	निजी भूमि	2037/4	0.012	निजी भूमि
2000/2/2	0.025	निजी भूमि	2037/5	0.010	निजी भूमि
2000/2/3	0.025	निजी भूमि	2037/6	0.010	निजी भूमि
2018/1	0.042	निजी भूमि	2037/7	0.010	निजी भूमि
2018/2/1	0.014	निजी भूमि	2037/8	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2037/9	0.010	निजी भूमि	2110/2112	1.000	निजी भूमि
2037/10	0.010	निजी भूमि	2116	0.020	निजी भूमि
2063	0.380	निजी भूमि	2208	0.596	निजी भूमि
2061	0.016	निजी भूमि	2111	0.335	निजी भूमि
2064/2	0.005	निजी भूमि	2236/1/1	0.015	निजी भूमि
2064/3	0.005	निजी भूमि	2236/1/2/1	0.010	निजी भूमि
2065/1	0.360	निजी भूमि	2236/1/2/2	0.010	निजी भूमि
2065/2	0.750	निजी भूमि	2236/1/2/3	0.010	निजी भूमि
2126	0.140	निजी भूमि	2236/2	0.030	निजी भूमि
2101	0.778	निजी भूमि	2228/1	0.010	निजी भूमि
2125	1.119	निजी भूमि	2228/2	0.010	निजी भूमि
2102/1	0.403	निजी भूमि	2229/1/1/1	0.115	निजी भूमि
2102/2	0.030	निजी भूमि	2229/1/1/2	0.040	निजी भूमि
2122/1/2	0.099	निजी भूमि	2229/1/2	0.040	निजी भूमि
2122/1/1	0.099	निजी भूमि	2229/1/3	0.040	निजी भूमि
2122/2	0.197	निजी भूमि	2229/1/4	0.040	निजी भूमि
2122/3/1	0.157	निजी भूमि	2229/1/5	0.040	निजी भूमि
2122/3/2	0.040	निजी भूमि	2229/2/1	0.196	निजी भूमि
2120/1	0.010	निजी भूमि	2229/2/2	0.040	निजी भूमि
2120/2	0.005	निजी भूमि	2229/2/3	0.040	निजी भूमि
2121/1/1/1	0.022	निजी भूमि	2229/2/4	0.040	निजी भूमि
2121/1/1/2	0.020	निजी भूमि	2229/3/1	0.158	निजी भूमि
2121/1/1/3	0.020	निजी भूमि	2229/3/2	0.158	निजी भूमि
2121/1/1/4	0.020	निजी भूमि	2229/4/1	0.275	निजी भूमि
2121/1/1/5	0.020	निजी भूमि	2229/4/2	0.040	निजी भूमि
2121/1/1/6	0.020	निजी भूमि	2229/5/1	0.235	निजी भूमि
2121/1/1/7	0.020	निजी भूमि	2229/5/2	0.040	निजी भूमि
2121/1/1/8	0.020	निजी भूमि	2229/5/3	0.040	निजी भूमि
2121/1/2	0.040	निजी भूमि	2229/6/1	0.275	निजी भूमि
2121/1/3	0.030	निजी भूमि	2229/6/2	0.040	निजी भूमि
2121/1/4	0.030	निजी भूमि	2231/1	0.206	निजी भूमि
2121/2/1	0220	निजी भूमि	2231/2	0.206	निजी भूमि
2121/2/2	0.040	निजी भूमि	2231/3	0.206	निजी भूमि
2119	0.522	निजी भूमि	2231/4	0.206	निजी भूमि
2104	0.060	निजी भूमि	2231/5	0.206	निजी भूमि
2118	0.250	निजी भूमि	2231/6	0.206	निजी भूमि
2113	0.166	निजी भूमि	2232	0.020	निजी भूमि
2117	0.008	निजी भूमि	2233/1	0.104	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
2233/2	0.104	निजी भूमि
2233/3	0.105	निजी भूमि
2233/4	0.105	निजी भूमि
2233/5	0.105	निजी भूमि
2233/6	0.105	निजी भूमि
1997/1	0.008	निजी भूमि
1997/2	0.008	निजी भूमि
1869	0.088	निजी भूमि
2209/1/1	0.070	निजी भूमि
2209/1/2	0.010	निजी भूमि
2209/1/3	0.010	निजी भूमि
2209/1/4	0.010	निजी भूमि
2209/1/5	0.010	निजी भूमि
2209/1/6	0.010	निजी भूमि
2209/1/7	0.010	निजी भूमि
2209/1/8	0.010	निजी भूमि
2209/2/1/1	0.020	निजी भूमि
2209/2/1/2	0.040	निजी भूमि
2209/2/2	0.040	निजी भूमि
2209/2/3	0.040	निजी भूमि
2209/3	0.139	निजी भूमि
2039/2/2	0.114	निजी भूमि
कुल रकबा ..	19.979	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन—भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 782-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग (रेलवे विभाग) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) नगर/ग्राम—चिलरी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.367 हे. (निजी).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
293	0.001	निजी भूमि
294	0.215	निजी भूमि
295	0.048	निजी भूमि
290	0.102	निजी भूमि
324	0.001	निजी भूमि
कुल रकबा ..	0.367	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन—भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 784-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग (रेलवे विभाग) द्वारा परिसम्पत्तियों की

जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—चिलरी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.412 हे. (निजी).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
268	0.054	निजी भूमि
271/1	0.198	निजी भूमि
271/2	0.950	निजी भूमि
308	0.060	निजी भूमि
307	0.137	निजी भूमि
306	0.461	निजी भूमि
305	0.100	निजी भूमि
304/1	0.072	निजी भूमि
304/3	0.029	निजी भूमि
304/2/1	0.028	निजी भूमि
304/2/2	0.038	निजी भूमि
304/2/3	0.036	निजी भूमि
304/2/4	0.037	निजी भूमि
304/2/5	0.037	निजी भूमि
439	0.214	निजी भूमि
444/1/ख/1	0.024	निजी भूमि
444/1/ख/2	0.190	निजी भूमि
437/2	0.01	निजी भूमि
440	0.070	निजी भूमि
441	0.200	निजी भूमि
442/1	0.06	निजी भूमि
442/2	0.06	निजी भूमि
450/1	0.180	निजी भूमि
450/2	0.177	निजी भूमि
455/1	0.064	निजी भूमि
455/2	0.064	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)
455/3	0.064	निजी भूमि
455/4	0.064	निजी भूमि
455/5	0.063	निजी भूमि
456	0.022	निजी भूमि
461	0.040	निजी भूमि
457	0.299	निजी भूमि
458	0.008	निजी भूमि
743	0.143	निजी भूमि
747	0.199	निजी भूमि
890	0.051	निजी भूमि
889	0.050	निजी भूमि
888	0.150	निजी भूमि
741	0.001	निजी भूमि
892	0.160	निजी भूमि
749	0.088	निजी भूमि
895	0.410	निजी भूमि
451	0.083	निजी भूमि
885	0.108	निजी भूमि
900	0.087	निजी भूमि
901	0.076	निजी भूमि
912	0.177	निजी भूमि
899	0.012	निजी भूमि
913/1	0.012	निजी भूमि
913/2	0.012	निजी भूमि
913/3	0.012	निजी भूमि
914/1	0.032	निजी भूमि
914/2	0.032	निजी भूमि
914/3	0.031	निजी भूमि
886/1	0.050	निजी भूमि
886/2	0.050	निजी भूमि
886/3	0.050	निजी भूमि
886/4	0.050	निजी भूमि
886/5	0.040	निजी भूमि
887/1	0.080	निजी भूमि
887/2	0.090	निजी भूमि
887/3	0.090	निजी भूमि
887/4	0.090	निजी भूमि
887/5	0.090	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
916	0.051	निजी भूमि
926	0.009	निजी भूमि
925	0.067	निजी भूमि
948	0.124	निजी भूमि
949	0.013	निजी भूमि
924	0.074	निजी भूमि
921	0.020	निजी भूमि
923	0.040	निजी भूमि
922	0.032	निजी भूमि
947	0.064	निजी भूमि
944	0.094	निजी भूमि
941	0.54	निजी भूमि
945	0.067	निजी भूमि
942	0.010	निजी भूमि
965	0.028	निजी भूमि
935	0.028	निजी भूमि
939	0.028	निजी भूमि
264	0.100	निजी भूमि
742/1	0.007	निजी भूमि
742/2	0.008	निजी भूमि
748	0.082	निजी भूमि
753/1	0.011	निजी भूमि
753/2	0.011	निजी भूमि
753/3	0.011	निजी भूमि
753/4	0.011	निजी भूमि
753/5	0.011	निजी भूमि
263	0.017	निजी भूमि
746/1	0.138	निजी भूमि
कुल रकबा ..	8.412	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन—भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 786-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग (रेलवे विभाग) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—भितरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.178 हे. (निजी).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
385	0.020	निजी भूमि
387	0.310	निजी भूमि
393	0.390	निजी भूमि
392	0.140	निजी भूमि
391	0.211	निजी भूमि
397/1	0.090	निजी भूमि
397/2	0.060	निजी भूमि
397/3	0.080	निजी भूमि
397/4	0.100	निजी भूमि
397/5	0.050	निजी भूमि
397/6	0.100	निजी भूमि
314	0.040	निजी भूमि
307	0.040	निजी भूमि
308	0.040	निजी भूमि
309	0.060	निजी भूमि
310/1	0.040	निजी भूमि
310/2	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
310/3	0.050	निजी भूमि
310/4	0.060	निजी भूमि
310/5	0.070	निजी भूमि
310/6	0.050	निजी भूमि
297	0.003	निजी भूमि
289/1	0.483	निजी भूमि
289/2	0.483	निजी भूमि
289/3	0.484	निजी भूमि
298	1.051	निजी भूमि
302	0.351	निजी भूमि
299	0.681	निजी भूमि
300	0.014	निजी भूमि
291	0.355	निजी भूमि
290	0.010	निजी भूमि
283	0.040	निजी भूमि
285	0.138	निजी भूमि
284	0.640	निजी भूमि
226	0.114	निजी भूमि
227	0.583	निजी भूमि
230	0.007	निजी भूमि
390	0.030	निजी भूमि
397/7	0.100	निजी भूमि
397/8	0.100	निजी भूमि
397/9	0.100	निजी भूमि
397/10	0.130	निजी भूमि
397/11	0.130	निजी भूमि
397/12	0.130	निजी भूमि
397/13	0.180	निजी भूमि
397/14	0.100	निजी भूमि
397/15	0.330	निजी भूमि
397/16	0.030	निजी भूमि
397/17	0.040	निजी भूमि
397/18	0.020	निजी भूमि
397/19	0.020	निजी भूमि
397/20	0.020	निजी भूमि
397/21	0.020	निजी भूमि
397/22	0.020	निजी भूमि
399/1	0.001	निजी भूमि
357/1/1	0.032	निजी भूमि
357/1/2	0.032	निजी भूमि
357/1/3	0.032	निजी भूमि
357/1/4	0.032	निजी भूमि
357/1/5	0.508	निजी भूमि
357/2	0.630	निजी भूमि
362	0.125	निजी भूमि
400/1	0.020	निजी भूमि
400/2	0.020	निजी भूमि
400/3	0.030	निजी भूमि
400/4	0.040	निजी भूमि
400/5	0.010	निजी भूमि
400/6	0.010	निजी भूमि
400/7	0.020	निजी भूमि
400/8	0.020	निजी भूमि
400/9	0.030	निजी भूमि
400/10	0.040	निजी भूमि
400/11	0.030	निजी भूमि
400/12	0.030	निजी भूमि
400/13	0.060	निजी भूमि
400/14	0.070	निजी भूमि
400/15	0.160	निजी भूमि
400/16	0.070	निजी भूमि
400/17	0.070	निजी भूमि
400/18	0.070	निजी भूमि
315/6	0.008	निजी भूमि
कुल रकबा ..	11.178	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन—भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.